<u>लोक सभा सचिवालय</u>

क. ग्रंथालय समिति- एक परिचय

1921 में स्थापित संसदीय ग्रंथालय दोनों सदनों के सदस्यों की जानकारी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ग्रंथालय में सर्वांगीण विकास से संबंधित मामलों पर अध्यक्ष (स्पीकर) को सलाह देने की दृष्टि से जिसे ग्रंथालय समिति नामक एक सलाहकार समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है1 21 नवंबर 1950 को अनंतिम संसद में स्पीकर द्वारा की गई घोषणा से इस समिति को पहली बार गठित किया गया।

2. ग्रंथालय समिति का गठन "*लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम*" के परिशिष्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

3. वर्तमान में समिति में अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित लोक सभा के छः सदस्य तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित राज्य के तीन सदस्य हैं। समिति के सभापति का चयन अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यों में से किया जाता है। यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य होते हैं तो वे सभापति के रूप में कार्य करते हैं। समिति की आकस्मिक रिक्तियों को लोक सभा सदस्यों के संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा नामांकन तथा राज्य सभा सदस्यों के संदर्भ में राज्य सभा के सभापति द्वारा भरा जाता है।

4. समिति के कार्य है:-

(एक) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर ग्रंथालय को यथाप्रेषित ग्रंथालय से संबंधित मामलों पर विचार करना और सलाह देना;

(दो) ग्रंथालय में सुधार हेतु सुझावों पर विचार करना;

(तीन) ग्रंथालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पूर्ण उपयोग संसद सदस्यों की सहायता करना।

5.	समिति का मुख्य कार्य ग्रंथालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग तथा उसमें प्रदत्त कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने में संसद सदस्यों की मदद करना है। समिति संसद सदस्यों और ग्रंथालय के बीच संपर्क का कार्य करती है। यह ग्रंथालय और इसकी संदर्भ सेवा में विकास के लिए संसद सदस्यों को मददगार और रचनात्मक सुझाव देने के लिए भी प्रात्साहित करती है। यह अध्यक्ष को ग्रंथालय से संबंधित मुद्दों उदाहरणतः पुस्तकों का चयन, नियम बनाना, भावी योजना आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।

6.	ग्रंथालय समिति की बैठकें, जैसी और जब आवश्यकता हो, की जाती हे। बैठकों के कार्यवाही सारांशों को सजिल्द रखा जाता है लेकिन समिति ऐसी कोई रिपोर्ट सदन अथवा स्पीकर अध्यक्ष को प्रस्तुत नहीं करती।

**ख.	वर्तमान ग्रंथालय समिति की संरचना[1]**

ग्रंथालय समिति (2020-21) के लिए निम्नलिखित सदस्य नामित किए गये हैंः-

लोक सभा

1.	श्री नामा नागेश्वर राव	-	सभापति
2.	श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
3.	श्री हिबी ईडन
4.	श्री हसनैन मसूदी
5.	श्री असदुद्दीन ओवैसी
6.	डा. वेंकट सत्यावती बीसेट्टी

राज्य सभा

1.	श्रीमती झरना दास बैद्य
2.	डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे
3.	रिक्त

[1] दिनांक 9 नवंबर 2020 के समाचार भाग-II में प्रकाशित